जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, देवघर
(जिला निर्वाचन शाखा)

फोन सं0 – 06432–275733 E-Mail Id – eodeoghar02@gmail.com

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह– सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक 421, दिनांक 02.03.2021 एवं पत्रांक 351/राँची, दिनांक 18.02.2021 द्वारा 13–मधुपुर विधानसभा उप चुनाव–2021 के संचालन के अवसर पर 13–मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के **Critical and Vulnerable Polling Station पर वेबकास्टिंग का कार्य** एवं कोवीड–19 से बचाव हेतु उपयोग में आनेवाले **स्वास्थ्य सामग्रियों** के क्रय हेतु निम्न शर्त्तों के अनुसार निविदा आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी अपना मुहरबंद लिफाफा में दिनांक– 16.03.2021 के अपराह्न 02:00 बजे तक जमा कर सकते है। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह– उपायुक्त, देवघर द्वारा गठित क्रय समिति के समक्ष 16.03.2021 को 03:30 बजे समाहरणालय सभाकक्ष, देवघर में खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता को स्वंय या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

- **Critical and Vulnerable Polling Station पर वेबकास्टिंग का कार्य**

क्र0	सामग्री का नाम	दर
1	वेबकास्टिंग ऑपरेटर के साथ	प्रति दिन (24 घंटा)

- **क्रय किये जाने वाले मतदान सामग्रियों का नाम एवं विवरण :–**

क्रमांक	सामग्री का नाम	सामग्री की इकाई	दर
1	2	3	5
1	थर्मल स्कैनर	प्रति ईकाई	
2	थ्री लेयर मास्क	प्रति सौ/प्रति हजार (अलग–अलग दर अंकित करना होगा)	
3	फेस सील्ड	प्रति ईकाई	
4	दस्ताना (ब्लू और सफेद)	प्रति ईकाई/प्रति पैकेट (अलग–अलग दर अंकित करना होगा)	
5	साबुन	प्रति ईकाई/पैकेट (अलग–अलग दर अंकित करना होगा)	
6	सेनीटाईजर	प्रति 100 मिली	
		प्रति 500 मिली	
		प्रति 1लीटर	
7	सेनीटाईजर with Foot Operated/ Manual	प्रति ईकाई	
8	हेड कवर	प्रति ईकाई/पैकेट (अलग–अलग दर अंकित करना होगा)	

1. निविदादाता को अपना निविदा दो अलग–अलग तकनीकी एवं वित्तीय भाग में देना होगा। *तकनीकी भाग* में सफल होने पर हीं *वित्तीय भाग* पर विचार किया जायेगा। वित्तीय भाग में मात्र दर अंकित रहेगा। निविदा से संबंधित शर्त्ते निम्नवत है :–
2. निविदा की शर्त्ते एवं सामग्री का नाम, मात्रा इत्यादि जिला के बेवसाईट www.deoghar.nic.in पर एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

A. तकनीकी भाग :–

1. निविदादाता के द्वारा अद्यतन GST एवं इंकम टैक्स रिटर्न (दो साल) संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
2. किसी सरकारी कार्यालय द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी Affidavit संलग्न करना होगा।
3. निविदा के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त, देवघर के पदनाम से मो0–50000.00 (पचास हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमानत राशि के रुप में जमा करना होगा।
4. निविदाताओं के पास उपलब्ध वेबकास्टिंग कैमरा सेट उपलब्धता संबंधी स्वधोषणा प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। यह संख्या आवश्यकतानुसार बढ़/घट भी सकती है।

B. वित्तीय भाग :–

1. सभी सामग्रियों का दर अंकित करना होगा।
2. अंकित दर के अलावे परिवहन व्यय या अन्य किसी प्रकार के शुल्क/कर का भुगतान देय नहीं होगा तथा सभी प्रकार के टैक्स अंकित दर में सम्मिलित रहेगा।

वित्तीय निविदा भरने हेतु प्रपत्र

क्रमांक	सामग्री का नाम	निर्माता कम्पनी का नाम	सामग्री की इकाई	दर प्रति इकाई

अन्य शर्तें :

1. निविदादाता सामग्री का नमूना, ब्राण्ड का नाम के साथ अपनी निविदा दर अंकित करेंगे एवं निविदा के साथ सामग्री का दो–दो नमूना भी अलग–अलग कार्टून में सीलबंद कर समर्पित करेंगे।
2. सामग्री की गुणवत्ता, न्यूनत्तम दर तथा आपूर्तिकर्ता की साख के अनुसार दर निर्धारण किये जाने पर प्राथमिकता दी जायेगी।
3. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अलग से परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
4. सामग्रियों की आपूर्ति गुणवत्ता के विशिष्टियों के अनुरुप करना होगा। गुणवत्ता एवं नमूना के अनुसार सामग्री प्राप्त नहीं होने पर विपत्र से उसी अनुपात में राशि की कटौती कर भुगतान करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
5. सामग्रियों के विवरण में यदि कोई सामान छूटे हैं और उसकी आवश्यकता यदि पड़ेगी तो आपूर्तिकर्ता को निर्धारित/स्वीकृत दर पर आपूर्ति करना होगा और विवरण में अंकित मात्रा/संख्या में परिवर्त्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
6. निविदादाता द्वारा कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं ससमय पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उसे कार्य से मुक्त एवं दंडित करते हुए दूसरे एजेंसी से उसी दर पर कार्य कराने हेतु निर्णय लिया जा सकता है।
7. निविदा को स्वीकृत या बिना कारण बताये अस्वीकृत/स्थगित करने या निविदा शर्त्तों में परिवर्तन लाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
8. जिस भी फर्म का 60 प्रतिशत से अधिक सामग्रियों पर न्यूनतम दर पाये जाने पर उस फर्म को L-1 घोषित किया जायेगा एवं कमिटि द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर के अनुरूप ही L-1 फर्म सभी सामग्री उपलब्ध कराएगी, यदि सभी एजेंसी द्वारा 60 प्रतिशत से कम सामग्रियों पर न्यूनतम दर अंकित रहता है तो न्यूनतम दर अंकित करने वाले एजेंसी को ही संबंधित सामग्री का कार्य करने हेतु निदेशित किया जायेगा।
9. यदि निविदा स्वीकृत होने के उपरांत निविदादाता द्वारा ससमय कार्य संपादित नही किया जाता है तो जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी एवं अनुशसनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्वीकृत दर पर ही सामग्री निविदा में द्वितीय या तृतीय स्थान पर रहे निविदादाता से कार्य लिया जाएगा।
10. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
11. यदि राज्य स्तर/प्रमण्डल स्तर से कोई दर निर्धारित होती है तो उक्त दरों में से जो दर न्यूनतम होगा उसी दर पर विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

09/03/2021

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, देवघर।

ज्ञापांक 176 / **निर्वा0, देवघर, दिनांक** 09/03/2021

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, देवघर/अपर समाहर्ता देवघर/अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, जिला देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा सूचना का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पट्ट पर करायें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त निविदा को देवघर जिला के वेबसाईट www.deoghar.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाय।

Sd/ 09/03/2021

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, देवघर।

ज्ञापांक 176 / **निर्वा0, देवघर, दिनांक** 09/03/2021

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

Sd/ 09/03/2021

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, देवघर।

ज्ञापांक 176 / **निर्वा0, देवघर, दिनांक** 09/03/2021

प्रतिलिपि :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त, गोड्डा/दुमका/जामताड़ा/साहेबगंज/पाकुड़ को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा सूचना का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पट्ट पर कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि : क्रय समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/ 09/03/2021

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, देवघर।